न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :— हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या — 72/2004/223 आर टी ए

चेतसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—— अपीलांट

बनाम

1. मोहनसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. सरजीत कौर बेवा खेतासिंह जाति जटसिख निवासी 22 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. गुरचरणसिंह पुत्री जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ.।
4. वीरसिह पुत्र गुरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 12 गिदड़वाह पंजाब।
5. जगतारसिंह पुत्र हरदम सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. जोगेन्द्रसिंह पुत्र पालासिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. करनैलसिंह पुत्र पालासिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
8. सुखदेवसिंह पुत्र पालासिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
9. महेन्द्रकौर बेवा कौरसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
10. गुरमेलसिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
11. कलवंतसिंह पुत्र कौरसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
12. सोहनसिंह पुत्र गुरदतसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
13. मेजरसिंह पुत्र गुरदतसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
14. बीकरसिंह पुत्र गुरदतसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
15. नाजरसिंह पुत्र गुरदतसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
16. हरगोविन्द्रसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
17. अंग्रेजसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
18. हरभजनसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

19. गुरदेवसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
20. वीरेन्द्रसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
21. अवतारसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
22. सुरेन्द्रकौर पुत्री बलवीरसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
23. दीपकौर पत्नि बलवीरसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
24. गुरमेलसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
25. तेजकौर बेवा मलसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
26. करणीसिंह पुत्र जेलासिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
27. बलकरणसिंह पुत्र जेलासिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
28. मिठूसिंह पुत्र ठुलसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
29. बलदेवसिंह पुत्र ठूलसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
30. सुरेपाल उर्फ सुखदेवसिंह पुत्र ठूलसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
31. हाकमसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
32. गुरवचनसिंह पुत्र सतवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
33. सुखचरणसिंह पुत्र सतवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
34. मोहनसिंह पि.मु. हमीरसिंह जाति जटसिख निवासी 22 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
35. गुरतेजसिंह पुत्र जोरासिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
36. गमदूरसिंह पुत्र जोरासिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
37. जसपालकौर पत्नि गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
38. नसीबकौर पत्नि जगरूपसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

39. मलकीतसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
40. बलकरण सिंह पुत्र हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
41. हाकमसिंह पुत्र मितसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
42. नसीबकौर पत्नि सुखदेवसिंह जाति जटसिख निवासी बुगलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
43. तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2004 जिसकी द्वारा वाद वादी आंशिक रूप से डिक्री किया गया को अपास्त करवाने बाबत।

उपस्थित :—
श्री वतनदीप सिंह मान अधिवक्ता अपीलांट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 43

निर्णय दिनांकः—31.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 आरटीए प्रस्तुत किया कि वादी/अपीलांट एवं प्रतिवादी/रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के नाम चक 25 एएमपी के खाता सं. 36/92 जमाबंदी सम्वत 2053 मे 1.365 है0 भूमि दर्ज है कुल खाते मे दर्ज 46.240 है0 आराजी का विवरण दिया हुआ है। रेस्पो0 सं. 3 ने अपने हक व हिस्सा का विरासतन परित्याग अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पक्ष मे बहिब कर दिया है परन्तु वादी/अपीलांट व प्रतिवादी/रेस्पो0 सं. 1 व 2 को चक 25 एएमपी के प.न. 96/172 कि.न. 16, 17/0.506, 24/0.101, 25/0.152, प.न. 97/172 कि.न. 4/0.114 कुल 0.873 है0 भूमि दे रखी है जबकि रिकार्ड मे 1.365 है0 भूमि दर्ज, जिसके खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादी/अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए अपीलांट को 0.873 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं मौखिक साख्य की अनदेखी कर पारित किया गया है जो खारिज योग्य है। वादी/अपीलांट एवं प्रतिवादी/रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के नाम चक 25 एएमपी के खाता सं. 36/92 जमाबंदी सम्वत 2053 मे 1.365 है0 भूमि दर्ज है कुल खाते मे दर्ज 46.240 है0 आराजी का विवरण दिया हुआ है। रेस्पो0 सं. 3 ने अपने हक व हिस्सा का विरासतन परित्याग अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पक्ष मे बहिब कर दिया है परन्तु वादी/अपीलांट व प्रतिवादी/रेस्पो0 सं. 1 व 2 को चक 25 एएमपी के प. न. 96/172 कि.न. 16, 17/0.506, 24/0.101, 25/0.152, प.न. 97/172 कि.न. 4/0. 114 कुल 0.873 है0 भूमि दे रखी है जबकि रिकार्ड मे 1.365 है0 भूमि दर्ज, जिसके खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत रिकार्ड से वादी ने तनकी सं. 1 को बखूबी साबित किया है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के खाता सं. 36/38 मे कुल 1.365 है0 भूमि है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने 0.873 है0 भूमि पर खातेदार काश्तकार घोषित किया है। अधीनस्थ न्यायालय को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त कर सभी काश्तकारो की भूमि की पैमाईश कर खाता विभाजन की डिक्री जारी करनी चाहिए थी जो कि अन्तिम डिक्री जारी की है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट के कथनानुसार वादी/अपीलांट एवं प्रतिवादी/रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के नाम चक 25 एएमपी के खाता सं. 36/92 जमाबंदी सम्वत 2053 मे 1.365 है0 भूमि दर्ज है तथा रेस्पो0 सं. 3 ने अपने हक व हिस्सा का विरासतन परित्याग अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पक्ष मे बहिस्सा बराबर किया हुआ है परन्तु वादी/अपीलांट व

प्रतिवादी/रेस्पो0 सं. 1 व 2 को चक 25 एएमपी के प.न. 96/172 कि.न. 16, 17/0.506, 24/0.101, 25/0.152, प.न. 97/172 कि.न. 4/0.114 कुल 0.873 है0 भूमि दे रखी है जबकि रिकार्ड मे 1.365 है0 भूमि दर्ज, जिसके खातेदार काश्तकार है। इसी आधार पर घोषणा व खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 ता 3 को 0.873 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अन्तिम निर्णय पारित किया गया जबकि अपीलांट का दावा घोषणा के साथ साथ खाता विभाजन का भी था। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए ना तो दावा प्राथमिक डिक्री पारित की गई और ना ही तहसीलदार से मौका अनुसार अच्छी मंदी के हिसाब से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। इस प्रकार यह साबित होता है कि पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जबकि प्रस्तुत जमाबंदी रिकार्ड के अनुसार दर्ज अनुसार प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना मे विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर तद्नुसार निर्णय पारित किया जाना आपेक्षित था। चूंकि विभाजन के वाद मे दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 31.03.2004 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस

निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण मे नियमानुसार प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 01.03.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 118/2012/223 आर टी ए

1. बिशन सिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी छापोली तहसील उदयपुरा बाटी जिला झुन्झनू।

–– अपीलांट

बनाम

1. मु0 सुशीला कंवर बेवा महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
2. राजवीर सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
3. भवानी सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
4. मु0 रेखा कंवर पुत्री महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
5. मु0 पुनम कंवर पुत्री महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
6. महीपालसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी छापोली तहसील उदयपुरा वाटी जिला झुन्झनू राज0।
7. ओमवीर सिंह पुत्र गिरवारसिंह जाति राजपूत निवासी छापोली तहसील उदयपुरा वाटी जिला झुन्झनू राज0।

–– रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2010 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर प्र0सं0 191/2007 अनवानी सुशीला आदि बनाम महीपालसिंह आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट व श्री हवासिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ता 5 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2010 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 03.07.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ